580

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक : 2/सी.एम.टी.–46/2011 परि 4473/ पटना, दिनांक 08/09/2015

आगामी बिहार बिधान सभा आम चुनाव, 2015 को देखते हुए एवं प्रधान सचिव, गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–684 दि0 04.09.2015 एवं पत्रांक 203 दिनांक 26.08.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में बिहार राज्य के समस्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष कोटि के पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधि0, 1988 की धारा–200 के संगत प्रावधानों के आलोक में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधि0, 1988 की धारा–177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 एवं 190 के अंतर्गत विनिदिष्ट अपराधों के लिए बिहार बिधान सभा आम चुनाव की अवधि तक (अधिसूचना लागू होने से चुनाव समाप्ति तक) के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

यह शमन की शक्ति पूर्व में पुलिस अधीक्षकों के अनुरोध एवं जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर पुलिस पदाधिकारियों को प्रदत शक्ति के अतिरिक्त होगी अर्थात् जिन्हे इस विभाग की अधिसूचना द्वारा पूर्व से शमन की शक्ति प्रदान की गयी है, वह यथावत रहेगी।

2. सभी पुलिस अधीक्षक अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही उपर्युक्त पदाधिकारीयों के कार्यकलाप की समीक्षा भी अपने स्तर से करेंगे।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह0/- 8/9
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2/सी.एम.टी.–46/2011 परि 4473/ पटना, दिनांक 08/09/2015

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

ह0/- 8/9
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2/सी.एम.टी.–46/2011 परि 4473/ पटना, दिनांक 08/09/2015

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 684 दिनांक 04.09.15 एवं पत्रांक 203 दिनांक 26.08.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि इस अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से भी सभी पुलिस अधीक्षकों को भेजने की कृपा करें।

ह0/- 8/9
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 2/सी.एम.टी.–46/2011 परि 4473/ पटना, दिनांक 08/09/2015

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/शक्ति प्रदत् सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी,/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 8/9/15
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

E:\Pooja Sharma\Santosh-2015.Docx